DMS - 107108

FUTURE IS HERE

पत्रांक : वाई0ई0ए0 / सम्पत्ति / 146 / 2019
दिनांक 26 / 12 / 2019

कार्यालय आदेश

कृपया प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.2019 की मद संख्या 66 / 20 में संचालन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पार्ट कम्पलीशन के प्रकरणों में फेजवाईज एकमुश्त लीजरेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति प्रतिपादित है। "जिन बिल्डर भूखण्डों की लीजडीड में प्राविधान है कि फेजवाईज कम्पलीशन प्राप्त करने पर फेजवाईज एकमुश्त लीजरेंट (कुल कीमत का 11 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा, ऐसे आवंटियों को त्रिपक्षीय सबलीजडीड प्रारम्भ करने से पूर्व कम्पलीशन प्राप्त फेज का एकमुश्त लीजरेंट जमा कराना होगा। अवशेष एरिया का वार्षिक लीजरेंट तबतक जमा कराया जाता रहेगा, जब तक परियोजना का पूर्ण कम्पलीशन प्राप्त होगा।"

उपरोक्तानुसार व्यवस्था के बावजूद भी कुछ आवंटी ऐसे हैं जिनके द्वारा पार्ट कम्पलीशन प्राप्त कर लिया गया है परन्तु कम्पलीशन प्राप्त फेज का एकमुश्त लीजरेन्ट जमा कराने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं जिसके कारण फ्लैट बायर्स के पक्ष में पार्ट कम्पलीशन प्राप्त यूनिट की त्रिपक्षीय सबलीज डीड कराये जाने में विलम्ब हो रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत बोर्ड निर्णय के क्रम में फेजवाईज कम्पलीशन प्राप्त एरिया के एकमुश्त लीजरेन्ट को नियमानुसार ब्याज सहित चार समान मासिक किश्तों में जमा कराये जाने की नीति इस शर्त के साथ निर्धारित जाती है कि बिल्डर को अपनी परियोजना के उस फेज की यूनिट / फ्लैट की त्रिपक्षीय सबलीज डीड निम्नानुसार अनुपातिक रुप से निष्पादित करानी होगी–

(i) लीजरेन्ट की बकाया धनराशि में से प्रथम किश्त की धनराशि जमा होने पर 20 प्रतिशत यूनिट्स / फ्लैटस
(ii) लीजरेन्ट की बकाया धनराशि में से द्वितीय किश्त की धनराशि जमा होने पर 20 प्रतिशत यूनिट्स / फ्लैटस
(iii) लीजरेन्ट की बकाया धनराशि में से तृतीय किश्त की धनराशि जमा होने पर 25 प्रतिशत यूनिट्स / फ्लैटस
(iv) लीजरेन्ट की बकाया धनराशि में से चतुर्थ किश्त की धनराशि जमा होने पर 35 प्रतिशत यूनिट्स / फ्लैटस

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सतीश कुमार दुबे),
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0 / एन0जी0 / एम0) को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन / परियोजना) को सूचनार्थ।
4. समस्त योजना प्रभारी / प्रबन्धक सम्पत्ति को सूचनार्थ।
5. प्रबन्धक सिस्टम को उक्त नीति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

26/12/19

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395153, फैक्स न0 – 0120 – 2395150